24.06.2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित न्यायालय में आयोजित विशेष कैम्प में ली गई उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनता है। और सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में है। अप्रार्थीगण भूमि का रहन बैय व अन्य तरिके से बेचान कर देता है, तो उसे ना पुरा होनें वाला नुकसान होगा। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता नें तर्क दिया कि प्रार्थीगण का प्रथमदृष्या प्रकरण नहीं बनता है। और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना ही प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा को हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

हमनें दोनों पक्षों की समायत बहस पर मनन किया गया एवम् प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसला शुमार होकर बाद तकमील मूल वाद 127/2015 के संलग्न की जावे।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर